न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 43 / 2013 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. खेताराम पुत्र भगवानाराम जाति मेघवाल निवासी बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर।	बनाम	मासिगाराम पुत्र लालाराम के कायम मुकाम :– 1.देवाराम पुत्र मासिंगाराम 2.खमाराम पुत्र मासिंगाराम 3.डूंगराराम पुत्र मासिंगाराम 4.हुकमाराम पुत्र मागिाराम 5.भंवराराम पुत्र मासिंगाराम 6.अमियों देवी बेवा मासिंगाराम जातियान मेघवाल निवासी बाड़मेर। 7.तहसीलदार बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बाड़मेर के राजस्व वाद संख्या 140 / 1993 बअनवान खेताराम बनाम मासिंगा वगैरा निर्णय दिनांक 06.06.1994।

उपस्थिति

1. वकील श्री पवन सिंहल अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री वीरमाराम चौधरी रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 29.03.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट / वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 मासिंगाराम के संयुक्त खातेदारी की भूमि सरहद मौजा बाड़मेर मगरा तहसील बाड़मेर में खसरा संख्या 700 व 701 रकबा क्रमशः 21.01 बीघा व 26.15 बीघा आई हुई है, जिसमें आधा हिस्सा वादी का व आधा हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के खातेदारी अधिकार का है, दोनों खेतों पर वादी व प्रतिवादी संख्या 01 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है व लगान भी दोनों ही सामलाती भरते आ रहे है। अपीलांट एवं रेस्पोडेंट के मध्य भूमि पर काश्त करने पर एतराज एवं विवाद होने से बंटवाड़ा का वाद लाना पड़ा। तत्पश्चात अपीलांट एवं रेस्पोडेंट गण के मध्य राजीनामा होने पर खसरा संख्या 700 रकबा 21.01 बीघा सम्पूर्ण भूमि व 02.17 बीघा भूमि खसरा संख्या 701 में से कुल 23.18 बीघा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

व प्रतिवादी संख्या 1 के कायम मुकाम को खसरा संख्या 701 में से 23.18 बीघा भूमि देना तय किया गया तथा अपीलांट/वादी ने इसी अनुसार राजीनामा लिखकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश करने हेतु अपने अधिवक्ता से कहा, परन्तु अपीलांट/वादी अधिवक्ता ने प्रतिवादी संख्या 1 के कहे अनुसार गलत निष्पादित करवाया तथा गलत राजीनामें में खसरा संख्या 700 की सम्पूर्ण 21.01 बीघा भूमि अपीलांट को तथा खसरा संख्या 701 की सम्पूर्ण 26.15 बीघा भूमि रेस्पोडेंट/प्रतिवादी को देने का कथन करते हुए राजीनामा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करवा दिया जिसकी जानकारी तत्समय अपीलांट/वादी को नहीं हो पाई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों यानि अपीलांट के वाद का अध्ययन किये बिना ही गलत रूप से निर्णय एवं डिक्री पारित की गई क्योंकि अपीलांट/वादी वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा खातेदारी का है। जबकि राजीनामा के आधार पारित निर्णय में अपीलांट/वादी को कम भूमि प्राप्त हुई है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में बताया कि अपीलांट/वादी एवं रेस्पोडेंट/प्रतिवादी संख्या 1 मासिंगाराम के संयुक्त खातेदारी की भूमि सरहद मौजा बाड़मेर मगरा तहसील बाड़मेर में खसरा संख्या 700 व 701 रकबा क्रमशः 21.01 बीघा व 26.15 बीघा आई हुई है, जिसमें आधा हिस्सा वादी का व आधा हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के खातेदारी अधिकार का है, दोनों खेतों पर वादी व प्रतिवादी संख्या 01 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है व लगान भी दोनों ही सामलाती भरते आ रहे है। अपीलांट एवं रेस्पोडेंट गण के मध्य राजीनामा होने पर खसरा संख्या 700 रकबा 21.01 बीघा सम्पूर्ण भूमि व 02.17 बीघा भूमि खसरा संख्या 701 में से कुल 23.18 बीघा व प्रतिवादी संख्या 1 के कायम मुकाम को खसरा संख्या 701 में से 23.18 बीघा भूमि देना तय किया गया तथा अपीलांट/वादी ने इसी अनुसार राजीनामा लिखकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश करने हेतु अपने अधिवक्ता से कहा, परन्तु अपीलांट/वादी अधिवक्ता ने प्रतिवादी संख्या 1 के कहे अनुसार गलत निष्पादित करवाया तथा गलत राजीनामें में खसरा संख्या 700 की सम्पूर्ण 21.01 बीघा भूमि अपीलांट को तथा खसरा संख्या 701 की सम्पूर्ण 26.15 बीघा भूमि रेस्पोडेंट/प्रतिवादी को देने का कथन करते हुए राजीनामा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करवा दिया जिसकी जानकारी तत्समय

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अपीलांट/वादी को नहीं हो पाई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों यानि अपीलांट के वाद का अध्ययन किये बिना ही गलत रूप से निर्णय एवं डिक्री पारित की गई क्योंकि अपीलांट/वादी वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा खातेदारी का है। जबकि राजीनामा के आधार पारित निर्णय में अपीलांट/वादी को कम भूमि प्राप्त हुई है। उतरदातागण को बंटवाड़े में 02.17 बीघा भूमि ज्यादा दे दी है जबकि ऐसा कोई घोषणा संबंधी वाद नही था, केवल धारा 53 के तहत बंटवाड़ा चाहा था। राजीनामे में एक ही वकील ने उभयपक्ष की पहचान की है जो उचित नहीं है। वकील अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित दृष्टांत पेश किया:– RRT 2012(1) Page 659 (Settlement deed based on consent obtained by fraud or false statement is voidable.) अतः अपीलांट की अपील स्वीकार अपीलाधीन निर्णय अपास्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होता है।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि डिक्री अनुसार ग्राम बाड़मेर मगरा का खसरा संख्या 700 रकबा 21.01 बीघा अपीलांट/वादी की तथा खेत खसरा संख्या 701 रकबा 26.15 बीघा रेस्पोडेंट की खातेदारी में घोषित किया गया है और यह डिक्री राजीनामा के आधार पर जारी हुई थी। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 06.06.1994 में पक्षकारान की बहस के पद में स्पष्ट उल्लेख है कि "दौराने बहस बताया कि खातेदारान ने यह तय किया कि होल्डिंग छोटे टुकड़ों में विभक्त न हो, इस हेतु पूरे–पूरे खेत रखे गये हैं।" अपीलांट को प्रारम्भ से ही ज्ञान था कि उसके हिस्से में खसरा संख्या 700 रकबा 21.01 बीघा आया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट अनपढ व ग्रामीण व्यक्ति होने के कारण उसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की जानकारी पूर्व में नहीं रही तथा उसने अधिवक्ता पर विश्वास कर लिया परन्तु अधिवक्ता ने अपीलांट को धोखे में रख कर अधीनस्थ न्यायालय में राजीनामा रेस्पोडेंटगण के दबाव में आकर पेश किया। वर्तमान में अरसा 15 दिन पूर्व उतरदातागण संख्या 1 से 5 ने अपीलांट के खसरा संख्या 701 के रकबा 2.17 बीघा भूमि में हस्तक्षेप कर उन्हें बेंदखल करने का प्रयास करने लगे

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

तथा अपीलांट को कहा कि आप खसरा संख्या 701 की भूमि से कब्जा हटा लो, आपका इस भूमि में कोई नाम नहीं है। तत्पश्चात अधिवक्ता से सम्पर्क कर दिनांक 04.04.2013 को नकलें मांगी जो दिनांक 09.04.2013 को मिलने पर अपीलांट को समस्त जानकारी हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन डिक्री के पश्चात अपीलांट ने क्रमशः रकबा 01 बीघा, रकबा 06 बीघा, रकबा 03 बीघा, व रकबा 01.10 बीघा के इस खसरा संख्या 700 में हस्तांतरण किये है। प्रत्येक हस्तांतरण के साथ खातेदारी की प्रमाणित प्रति लगाई है, स्वयं अपीलांट साक्षर है। अतः यह नहीं माना जा सकता कि इतने हस्तांतरण हेतु खातेदारी नकले लेने के उपरांत उसे रेकर्ड का ज्ञान नहीं हुआ है। अपील पेश करने में बीस साल का असाधारण विलम्ब हुआ है। विलम्ब का कोई संतोषप्रद कारण नहीं है। अपीलांट का कब्जा केवल खसरा संख्या 700 पर ही रहा है। उसका खसरा संख्या 701 के किसी भाग पर कब्जा–काश्त नहीं रहा है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है। अपीलांट/वादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुचे कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा की गई देरी सदभाविक नहीं है। तथा 20 साल की देरी को Explain भी नहीं किया गया। अतः अपील को मियाद बाहर करने के आदेश दिये जाते है। चूंकि मामले में पर मैरिट पर भी बहस सुनी जा चुकी है, अतः पत्रावली पर निर्णय गुणावगुण पर भी करना समुचित होगा।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। दावा वादी का आर टी एक्ट की धारा 53 के तहत ही प्रस्तुत था। फॉर्म संख्या 3 के साथ केवल दो दस्तावेज जमाबंदी संवत 2047–49 खसरा संख्या 700 व 701 से संबंधित तथा नजरी नक्शा मौजा बाड़मेर मगरा है। इसमें विभाजन प्रस्ताव संबंधी कोई उल्लेख नहीं है कि इसमें रंग भरा गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आदेशिका दिनांक 24.03.1994 में स्पष्ट है कि **"प्रतिवादीगण ने कोई जबाव दावा पेश नहीं किया लिहाजा जबाव दावा का अवसर बंद किया जाता है।"** पत्रावली पर उभयपक्ष द्वारा उनके पृथक–पृथक अधिवक्ताओं की उपस्थिति एवं हस्ताक्षरों से राजीनामा प्रस्तुत होकर तस्दीक हुआ है। तस्दीकर्ता सहायक कलक्टर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

बाड़मेर ने इसमें स्पष्ट किया कि "पक्षकारान को विधिवत रूप से इबारत राजीनामा पढ़ कर सुनाई व समझाई गई तो सही होना स्वीकार किया।" अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में इसका खुलासा किया गया –"माफिक राजीनामा खसरा संख्या 700 सालम नंबर वादी का खसरा संख्या 701 सालम नंबर प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का रखा गया एवं इस माफिक राजीनामा के अनुसार डिक्री जारी करने का निवेदन किया। इतना ही नहीं अपीलाधीन निर्णय में और स्पष्ट किया गया कि –दौराने बहस बताया कि खातेदारान ने यह तय किया कि होल्डिंग छोटे टुकड़ों में विभक्त न हो इस हेतु पूर्ण–पूर्ण खेत रखे गए है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट का इस दावे में कोई उज्र या जबाव नहीं है बल्कि अपीलांट/वादी द्वारा चाहे मुजब राजीनामा कर तदनुसार पूर्ण–पूर्ण खेतों में से एक–एक स्वेच्छा से बांट कर लिये। समग्र रूप से अपील में अपीलांट के कथन सत्य नहीं होने से अपील स्वीकार करने योग्य कतई नहीं है। वैसे भी सी पी सी के प्रावधानों मुताबिक भी आपसी राजीनामा स्वीकृति/सहमति से हुए निर्णय में अपील नहीं हो सकती। विधि की दृष्टि में यह अपील पोषणीय नहीं रह जाती है।

अतः इन सब तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील मियाद के बिंदु व मैरिट पर खारिज करना उचित ठहरती है।

अतः अपील अपीलांट तथ्यों से परे, सारहीन एवं मियाद बाहर होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 140/1993 बअनवान खेताराम बनाम मासिंगा वगैरा में पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.06.1994 को यथावत रखा जाता है।

29/3/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 29.03.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

29/3/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner